अध्याय 8 गांधीजी की तीसरी अफ्रीकी-यात्रा

गांधीजी ने अफ्रीका पहुँचते ही भारतीयों से वहाँ की परिस्थिति का परिचय प्राप्त किया और ब्रिटिश मंत्री चैंबरलेन को उनकी शिकायतें दूर करने के लिए प्रार्थना-पत्र तैयार किया। उसमें ज़ोरदार शब्दों में उनसे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। चैंबरलेन ने भारतीयों की शिकायत को सही तो माना, पर उसे दूर करने में अपनी असमर्थता जाहिर की।

गांधीजी ने जोहेंसबर्ग में रहकर अपनी वकालत प्रारम्भ कर दी। ट्रांसवाल में भारतीयों को प्रवेश-पत्र पाने में बड़ी कठिनाई होती थी। अफसर प्रवेश-पत्र देने के लिए घूस भी खाते थे। बोअर-युद्ध के समय बहुत-से भारतीय ट्रांसवाल से भाग गए थे। शांति स्थापित होने पर वहाँ आने के लिए प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। गांधीजी ने समाचार पत्र द्वारा ट्रांसवाल सरकार के अन्याय की ओर जनता का ध्यान खींचना आरम्भ कर दिया।

गांधीजी के योजनाबद्ध कार्य

गांधीजी योजनाबद्ध कार्य करने के पक्षपाती थे। सार्वजनिक कार्य तो वे योजना बनाकर करते थे, स्वास्थ्य संवर्द्धन का कार्य भी योजनाबद्ध होता था। यहाँ उन्होंने प्राकृतिक उपायों से जीवन-व्यतीत करने की योजना बनाई। वे प्रात: 6.00 बजे उठ जाते, मीलों पैदल घूमने जाते। प्रात:काल के नाश्ते को वे अनावश्यक समझते थे। शाकाहार की वैज्ञानिकता वे इंग्लैंड में ही समझ चुके थे। उन्होंने भोजन के प्रयोग प्रारम्भ कर दिए। उन्होंने डबल-रोटी के स्थान पर घर की चक्की के, हाथ से पिसे चोकर-सहित आटे की रोटी बनाना प्रारम्भ कर दिया। उन्हें दूध और घी अप्राकृतिक जान पड़ा। अफ्रीका में जब तक रहे, उनका सेवन नहीं किया। भारत में एक बार पेचिस से बहुत बीमार होने पर डॉक्टरों ने कहा कि आपको दूध लेना चाहिए, तभी आप में शक्ति आएगी। उन्होंने कहा कि- 'मैं तो दूध न लेने का प्रण कर चुका हूँ।' कस्तूरबा ने टोक कर कहा, 'आपने बकरी के दूध की कसम नहीं खाई है'। कस्तूरबा की ओर देखकर उन्होंने कहा- 'बात तो ठीक कहती हो। प्रण करते समय मेरे मन में गाय माता और भैंस के दूध का ध्यान था।' डॉक्टरों ने भी बकरी के दूध के पक्ष में राय दे दी। परन्तु गांधीजी आदर्शवादी थे। इसलिए बकरी का दूध पीते समय मन की कमजोरी को भूल नहीं पाते थे। वे मौसमी फल, पपीते, खजूर और शहद का सेवन करने लगे। मन की शांति के लिए मंदिर में जाने का क्रम जारी रखा। घर साफ करने के लिए एक नौकर रखा था। पाखाना साफ करने के लिए म्युनिसिपैलिटी (नगरपालिका) का भंगी आता था परन्तु पाखाने का कमरा साफ करने एवं बैठक धोने का काम वे स्वयं करते और बच्चों से भी करवाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि बड़े होने पर इनके बच्चों को पाखाना साफ करने में कभी झिझक नहीं हुई। आरोग्य के नियमों का पालन करने में जोहेंसबर्ग में शायद ही कभी

कोई बीमार पड़ा हो। गांधीजी पाँच मील दफ़्तर पैदल ही आते-जाते थे और बच्चों को भी साथ ले जाते थे। इससे सहज ही व्यायाम हो जाता था।

जुलू-विद्रोह में सहायता

इसी बीच में जुलू लोगों ने शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी निभाने के लिए गांधीजी ने बोअर-युद्ध की तरह पुन: अपनी सेवाएँ सरकार को अर्पित कर दीं। उन्होंने अपने साथियों के साथ घायलों की सेवा-सुश्रूषा की। कई घायलों का इलाज न होने से उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें आराम पहुँचाया। सैनिकों का जुलू लोगों पर गोलियाँ चलाना गांधीजी को अच्छा नहीं लग रहा था पर एक बार सरकार को सहायता देने का वचन दे चुके थे, इसलिए सैनिक कार्रवाई को अनुचित मानते हुए भी वे सरकार का साथ दे रहे थे। उन्हें संतोष इसी बात का था कि वे जुलू लोगों की सेवा कर रहे थे।

सन् 1904 में उन्होंने डर्बन से 'इंडियन ओपीनियन' नामक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। सम्पादक के रूप में उनका नाम प्रकाशित नहीं होता था पर वास्तव में वे ही उसके सम्पादक थे। वे उसमें विभिन्न विषयों पर लेख लिखते थे। उसमें महापुरुषों की जीवनियाँ होती थीं, दक्षिण भारतीयों की समस्याओं पर विचार प्रकट किए जाते थे, सरकार के अन्यायी कार्यों की टीका-टिप्पणी की जाती थी और स्वास्थ्य आदि पर विचार व्यक्त किए जाते थे। अफ्रीका में भारतीय उनको भाई से सम्बोधित करते थे, परन्तु भारतवर्ष में महात्मा गांधी बापू कहलाने लगे थे। 'महात्मा' सम्बोधन उन्हें सदा खटकता रहा, पर बापू से उन्हें विरक्ति नहीं थी, क्योंकि वृद्धजन के लिए यह स्वाभाविक सम्बोधन था।

अफ्रीका में भारतीयों को नित नए-नए अपमानजनक कानूनों के विरुद्ध सरकार से झगड़ना पड़ता था। सरकार उन्हें हाथ की अँगुलियों की छाप देने को विवश करती और उनके मकान में पुलिस स्वेच्छा से प्रवेश कर सकती थी। बार-बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (पंजीयन प्रमाण-पत्र) पेश करना पड़ता था। गोरे अफसर काले बैरिस्टर के साथ भी वही व्यवहार करते थे, जो प्रवासी कुलियों के साथ करते थे। प्रीटोरिया में एशियाटिक विभाग स्थापित था। वह दावा तो करता था एशियायियों की सहायता करने का, पर कार्य उसके विपरीत ही करता था। जब गांधीजी प्रीटोरिया गए तब इस विभाग के एक अधिकारी ने उन्हें बुलाया और जब वे उसके दफ़्तर में गए, उनके साथ भी उसने असभ्य व्यवहार किया, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक न दी और उनके प्रीटोरिया में प्रविष्ट होने पर आपत्ति की। उसने कहा- 'तुम्हें प्रवेश-पत्र भूल से दिया गया है, अब तुम तुरन्त लौट जाओ। ब्रिटिश मिनिस्टर चैंबरलेन से तुम नहीं मिल सकोगे।'

यद्यपि नैटाल में गांधीजी चैंबरलेन से मिल चुके थे और उसने उन्हें निराशाजनक उत्तर दे दिया था, फिर भी प्रीटोरिया के भारतीयों के आग्रह पर वे वहाँ पहुँचे थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक स्थान से अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई जाए।

व्यक्ति और सार्वजनिक जीवन में संघर्ष के क्षण

11 सितम्बर, 1906 की सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए उन्होंने सत्याग्रह सिद्धान्त की एक ही वाक्य में व्याख्या कर दी, 'बुरे कानून के सामने न झुकना ही सत्याग्रह है'। इंडियन ओपीनियन में वे बराबर भारतीय समाज पर लगे प्रतिबन्धों के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे। ट्राम गाड़ियों और रेलगाड़ियों में भारतीय सम्मान के साथ यात्रा नहीं कर सकते थे। नैटाल में सरकार भारतीय व्यापारियों को बार-बार परमिट लेने के लिए आदेश देती थी। इसका गांधीजी ने बार-बार विरोध किया और व्यापारियों को दुबारा परमिट न लेने की सलाह दी। सोलह वर्ष से अधिक अवस्था वाले भारतीयों पर प्रतिवर्ष एक पौंड कर लगाया गया था। प्रवेश प्रमाण-पत्रों पर फीस लगाई जाती थी। इन सब अपमानजनक कानूनों और नियमों को रद्द कराने के लिए गांधीजी को विरोध करना पड़ता था। अदालतों की शरण लेने पर भारतीयों के पक्ष में फैसले नहीं होते थे।

फिनिक्स आश्रम की स्थापना

'इंडियन ओपीनियन' पत्र में लेखों का हेनरी पोलक पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे गांधीजी के भक्त हो गए। गांधीजी रहते थे जोहेंसबर्ग में, पर उनका पत्र इंडियन ओपीनियन छपता था डर्बन में। एक दिन जब वे जोहेंसबर्ग से डर्बन जाने लगे, तो पोलक उन्हें स्टेशन छोड़ने गए और गाड़ी में पढ़ने के लिए उन्होंने उन्हें रस्किन की 'अनटू दिस लास्ट' पुस्तक दी। गांधीजी ने 24 घंटे की यात्रा में सारी पुस्तक पढ़ डाली। उसका मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लिखा है, 'इस पुस्तक ने मेरे जीवन में क्रांति पैदा कर दी'। उन्होंने इसे जीवन-निर्माण कार्य की रचना कहा। 'सर्वोदय' के नाम से उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। पुस्तक में शरीर-श्रम और हाथ से काम करने का गौरव प्रतिपादित किया गया है। पुस्तक के सिद्धान्तों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वे तुरन्त उद्यत हो गए और उन्होंने डर्बन में सौ एकड़ भूमि खरीदी और उसमें फिनिक्स कालोनी (आश्रम) की स्थापना की। वहाँ अपना प्रेस लगाया और इंडियन ओपीनियन पत्र को छापना प्रारम्भ कर दिया। बिजली पर निर्भर न रहने की दृष्टि से उन्होंने अपने पत्र का आकार घटा डाला। पत्र की अफ्रीका में बड़ी माँग रहती, क्योंकि उसमें प्रति सप्ताह प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर कड़ी टिप्पणियाँ होती थीं। पत्र में अंग्रेज़ी, गुजराती, हिन्दी और तमिल विभाग रहते थे।

फिनिक्स आश्रम गांधीजी के सहयोगियों का केन्द्र बन गया। ट्रांसवाल के भारतीयों की सेवा तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में खर्च जुटाने के लिए उन्हें जोहेंसबर्ग रहकर वकालत करनी पड़ती थी। वे दिन भर कार्य करते और रात को भोजन के बाद परिवार के व्यक्तियों और मित्रों के साथ धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ते और दार्शनिक चर्चा करते थे। पैदल चलने का अभ्यास उनका बढ़ता जाता था। आहार-सम्बन्धी प्रयोग चल ही रहे थे। अपने बड़े भाई को उन्होंने एक पत्र लिखा था, 'मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है, वह लोक-सेवा में लगाया जा रहा है। मुझे किसी प्रकार के सांसारिक सुख-भोग की कामना नहीं है। मैं समाजसेवा में पूर्ण रूप से जुट जाना चाहता हूँ।'

गांधीजी समझौते का मार्ग हमेशा खुला रखते थे। वे यूरोपियों के साथ भी अन्याय नहीं होने देना चाहते थे। बहुत समय तक उनका विश्वास रहा कि अंग्रेज़ संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं और कानून की इज्जत करते हैं।

परन्तु बाद में उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि दक्षिण अफ्रीका के शासक अपने जाति-बन्धुओं का पक्ष लेते हैं और भारतीयों के साथ अन्याय करते हैं। अत: यदि भारतीय यूरोपियों के समान व्यापार आदि में समानता की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें जीवन-मरण के संघर्ष में उतरना पड़ेगा।

सत्याग्रही गांधी

सन् 1906 के अगस्त की बात है। गांधीजी अपनी फिनिक्स बस्ती में कुछ साथियों के साथ भावी कार्यक्रमों पर विचार कर रहे थे। इसी समय किसी ने उनके हाथ में 'ट्रांसवाल गवर्नमेंट गजट' का एक नया अंक थमा दिया। उसमें ट्रांसवाल सरकार का एक अध्यादेश छपा था। उसके अनुसार जो भारतीय सरकारी दफ़्तरों में जाकर एशियाई रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन-पत्र नहीं देगा, वह अपराधी माना जाएगा और उसे जुर्माना, जेल या देश-निकाले की सजा दी जा सकेगी। 'गजट' पढ़ते ही गांधीजी का माथा ठनका। वे समझ गए कि सरकार भारतीयों को अपमानित कर देश से निकालना चाहती है। उन्होंने तुरन्त भारतीयों की एक सभा बुलाई और उन्हें नए कानून के परिणाम समझाए। भारतीयों ने उसके विरोध में आवाज़ उठाई, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला।

चित्र 5. सत्याग्रही गांधी

उन्होंने महात्मा गांधी के सुझाव के अनुसार अपने नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं कराए। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश करना प्रारम्भ कर दिया। अदालत सभी अपराधियों को 48 घंटे के भीतर ट्रांसवाल छोड़ देने के आदेश देने लगी। जब भारतीयों ने ट्रांसवाल नहीं छोड़ा तो, उन्हें गांधीजी सहित पुन: पकड़ लिया गया। गांधीजी जब मजिस्ट्रेट के सामने लाए गए, तो उन्होंने अपने बयान में कहा, 'मैं अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहता। सरकार की दृष्टि में मैंने अपराध किया है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मुझे अधिक से अधिक सजा दी जाए।' मजिस्ट्रेट आश्चर्य से गांधीजी की ओर देखने लगा, क्योंकि उसने ऐसा अपराधी नहीं देखा था, जो अपना अपराध तुरन्त स्वीकार करता है और अधिक से अधिक सजा की भी माँग करता है। उसने उन्हें दो मास की जेल की सजा दे दी। जेल जाने पर उनके कपड़े उतरवा लिए गए और जेल के कपड़े पहनाकर एक ऐसी कोठरी में बन्द किया गया, जहाँ हवा जाने के लिए दीवाल के ऊपरी हिस्से में छोटा-सा झरोखा मात्र था।

गांधीजी के जेल जाने के बाद भारतीय रोज ही कानून भंग कर जेल जाने लगे। सभी को गांधीजी के समान अँधेरे में रखा गया, जहाँ उनका रह-रहकर दम घुटता था; परन्तु उन्होंने शिकायत नहीं की। आदर्श के लिए कष्ट झेलने को वे एक पवित्र साधना समझने लगे।

सत्याग्रही गांधी की पोशाक बैरिस्टर गांधी की पोशाक से बिल्कुल भिन्न थी। बैरिस्टर गांधी टोप, टाई, पैंट, बूट

और मोजे में रहते थे, पर जब सत्याग्रही के रूप में आन्दोलन करते तब नंगे सिर, कुर्ता, लुंगी और नंगे पैर रहते थे। लुंगी पहनने का कारण यह था कि दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण भारतीय तमिल-भाषी प्रवासियों की संख्या अधिक थी।

सत्याग्रहियों को जेल में भोजन भी अच्छा नहीं दिया जाता था। उनसे जिस प्रकार की मेहनत ली जाती थी, उस प्रकार का पर्याप्त भोजन उन्हें नहीं मिलता था। इतना कष्ट झेलने पर भी वे गांधीजी के सत्याग्रह-सिद्धान्त के अनुरूप प्रसन्न ही रहते थे।

ट्रांसवाल सरकार ने जब देखा कि भारतीय शांतिपूर्वक लगातार जेलों में भर रहे हैं, तब उसके रक्षा मंत्री जनरल स्मट्स ने समझौते का मार्ग अपनाया। उसने गांधीजी को जेल से बुलाया और उनसे आन्दोलन बन्द करने को कहा। उसने यह समझौता किया कि भारतीय स्वेच्छा से रजिस्टर में नाम दर्ज करा लें तो मैं कानून वापस ले लूँगा। गांधीजी राजी हो गए। फलतः सभी कैदी छोड़ दिए गए। गांधीजी ने इस आन्दोलन के रूप में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया।

जेल से छूटते ही उन्होंने सत्याग्रहियों की सभा बुलाई और समझौते की शर्तों को समझाकर कहा, 'सरकार झुक गई है, हमारी जीत हुई है। अब आप अपनी मर्जी से एशियाई रजिस्टर में अपना नाम लिखा सकते हैं।'

'कौन कहता है कि हमारी जीत हुई है?' सामने बैठा हुआ पठान, मीर आलम गरज उठा- 'नाम दर्ज कराने की बात तो कायम रही न?' गांधीजी ने समझाकर कहा, 'हमें अपनी मर्जी से नाम दर्ज कराने की बात तो कायम रही न?' गांधीजी ने समझाकर कहा, 'हमें अपनी मर्जी से नाम दर्ज कराना है, सरकार जबरदस्ती नहीं करेगी।'

'तो आप क्या करेंगे?' पठान ने पूछा।

'मैं तो नाम दर्ज कराऊँगा और सबसे पहले कराऊँगा।' गांधीजी ने जवाब दिया।

पठान जोश में बोला- 'मालूम होता है, आपको सरकार ने रिश्वत दी है, तभी आपने ऐसा गलत समझौता किया है।' पठान का शक बेबुनियाद है, इसे कोई न माने' यह कहकर गांधीजी जब सभा से जाने लगे, तो पठान ने धमकी दी, 'याद रखना, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, जो नाम दर्ज कराने जाएगा, उसे मैं मौत के घाट उतारे बिना नहीं रहूँगा।' चलते-चलते गांधीजी ने कहा- 'मुझे अपने भाई के हाथों मरने की खुशी ही होगी'। नाम दर्ज कराकर भारतीयों को ट्रांसवाल में रहने का अनुमति-पत्र लेना पड़ता था। सरकार ने अनुमति-पत्र लेने की तीन महीने की अवधि रखी थी।

अनुमति-पत्र लेने के लिए गांधीजी एशियाई दफ़्तर की ओर रवाना हुए। रास्ते में मीर आलम मिला। उसने हमेशा की तरह उन्हें सलाम नहीं किया। वह उन्हें घूर रहा था। गांधीजी ने खुद उससे पूछा, 'कहो खान, कैसे हो?' खान ने रूखाई से कहा- 'अच्छा नहीं हूँ।' जब गांधीजी दफ़्तर की ओर बढ़े, तो आलम ने लपककर पूछा- 'कहाँ जा रहे हो?' गांधीजी ने ज्यों ही कहा, 'नाम दर्ज करा अनुमति-पत्र लेने', त्यों ही उसने उनके सिर पर लाठी जमा दी। गांधी जी 'हरे राम' कहकर नीचे गिर पड़े। इसी हालत में खान के साथियों ने उन पर लातें लगाईं, डंडे बरसाए। यह देखकर कुछ पास खड़े भारतीय दौड़े और उन्होंने उन्हें बचाया। पठान और उसके साथी भागने लगे, परन्तु लोगों

ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

बेहोशी की हालत में गांधीजी को पास के एक गोरे के दफ़्तर में ले जाया गया। मार से उनका होंठ फट गया, सामने के दाँत टूट गए और छाती की पसलियाँ बुरी तरह दुखने लगीं। होश आते ही गांधीजी ने पूछा, 'मीर आलम कहाँ है?' जब उनसे कहा गया कि पुलिस उसे पकड़कर ले गई है, तो उन्होंने कहा, 'अरे जाओ, उसे छुड़ाने की कोशिश करो। वह बेचारा नहीं जानता कि उसने क्या कर डाला है।' गांधीजी ने पठानों को छोड़ देने के लिए पुलिस अधिकारी को चिट्ठी लिखकर प्रार्थना की, पर वे छोड़े नहीं गए। उन्हें सजा हुई। उसी समय एशियाटिक आफिस के कर्मचारी मिस्टर चमनी आ गए। गांधीजी ने उनसे कहा, 'आप अपने कागज़ पर यहीं मेरे हस्ताक्षर ले लीजिए। मुझसे पहले किसी की रजिस्ट्री न करें।' मिस्टर चमनी जब कागज़ लेकर आए और गांधीजी ने बड़ी कठिनाई से अपनी अँगुलियों की छाप दी, तब मिस्टर चमनी की आँखें भर आईं।

सत्याग्रह का दूसरा दौर

जनरल स्मट्स ने गांधीजी को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया। एशियाई रजिस्टर में नाम दर्ज कराने वाले कानून को रद्द नहीं किया। गांधीजी ने इस कानून को भी भंग करने के लिए भारतीयों को तैयार किया। इनके नेतृत्व में नैटाल के सत्याग्रही भारतीयों ने ट्रांसवाल में प्रवेश कर कानून भंग किया। उन सब पर मुक़दमे चलाए गए और सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने सजा दी और वे जेल भेज दिए गए। गांधीजी को भी अपने साथियों के साथ जेल-यात्रा करनी पड़ी। इस बार उन्हें ज़मीन खोदने का काम दिया गया। गांधीजी अपने सिद्धान्त के अनुसार दिए हुए समय में उसे पूरा करते और जो समय बचता, उसमें थोरो आदि के ग्रन्थ तथा गीता पढ़ते थे। जेल से छूटने पर गांधीजी कुछ समय के लिए इंग्लैंड गए, पर वहाँ उन्हें प्रवासी भारतीयों की समस्या हल कराने में सफलता नहीं मिली।

ट्रांसवाल सरकार ने अपनी दमन-नीति नहीं छोड़ी। उसने कुछ भारतीयों को निष्कासित करने के आदेश जारी किए। गांधीजी ने आदेशों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसमें उन्हें सफलता मिली। सरकार भारतीयों को निष्कासित करने की अपनी योजना में सफल नहीं हो पाई।

टाल्सटाय आश्रम

गांधीजी ने जेल-यात्रियों और उनके परिवारों को एक साथ रखने के लिए एक आश्रम की योजना बनाई। उनके मित्र केलेने बेक ने एक हज़ार एकड़ ज़मीन मुफ्त दे दी।

उसमें झरना, दो कुएँ और एक झोपड़ी थी। गांधीजी को वह स्थान बहुत सुन्दर लगा। अपने प्रेरणादायक टाल्सटाय की स्मृति में उन्होंने उसका नाम 'टालस्टाय आश्रम' रखा। यहाँ से स्टेशन एक मील और जोहेंसबर्ग इक्कील मील था। इस खेत में शुद्ध वायु और जल का प्रबंध तो था ही संतरे, खूबानी और बेर के भी पेड़ थे। गांधीजी को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग की भी सामग्री अर्थात् शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और ताजे फल प्राप्त थे। गांधीजी ने स्त्री पुरुषों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था की, इसलिए दूर-दूर मकान बनाए गए। एक पाठशाला, बढ़ईखाना, मोचीखाना आदि के लिए मकान बनाने का प्रबंध किया गया। आश्रम-जीवन की सभी आवश्यक चीज़ों के लिए

गांधीजी आत्मनिर्भर बनना चाहते थे। हाथ से काम करने और खुली हवा में रहने से भी आश्रमवासियों के चेहरों पर स्वास्थ्य की रौनक आ गई, सभी को कार्यवश जोहेंसबर्ग जाना पड़ता था। इसलिए यह नियम बनाया गया कि वहाँ जाने पर कुछ खर्च न किया जाए। इसलिए आश्रमवासी जाते समय घर से नाश्ता ले जाते थे। उसमें हाथ से पीसे हुए चोकर–सहित आटे की रोटी, मूँगफली का मक्खन और संतरों के छिलकों का मुरब्बा होता था। लोग जिस दिन जाते, उसी दिन लौट भी आते थे। इस प्रकार उनकी साठ–पैंसठ किलोमीटर की पद–यात्रा हो जाती थी। गांधीजी भी इतनी पद–यात्रा करते थे। वे जिस बात का उपदेश देते थे, उसे स्वयं करते थे। आश्रम के लड़के, लड़कियों को अपने साथ नहाने ले जाते थे। इस प्रकार उनमें परस्पर सौहार्द्र और भाई–बहिन का भाव जाग्रत करते थे।

गांधीजी खुले बरामदे में धरती पर सोते थे। आश्रम में चारपाइयाँ नहीं रखी गई थीं, अतः आश्रमवासी भी धरती पर सोते थे। गांधीजी आश्रम में सदाचार पर विशेष बल देते थे।

गांधीजी जब आश्रम में थे, तब उन्हें सूचना मिली कि भारतीयों की एक टोली को नैटाल की सीमा लाँघकर ट्रांसवाल जाने के कारण पकड़ लिया गया है और उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। सत्याग्रहियों की सहायता के लिए वे तुरन्त गए और अदालत में उनकी पैरवी कर उन्हें छुड़ा लाए।

स्त्री और पुरुषों का सत्याग्रह

केपटाउन की सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब फैसला दे दिया। उसने ईसाई–प्रथा से किए गए विवाहों को वैध माना। इसका परिणाम यह हुआ कि गैर–ईसाई विवाह अवैध हो गए। भारतीय समाज में तहलका मच गया। स्त्रियाँ रोष में भर गई, क्योंकि अब उनकी स्थिति वैवाहिक पत्नी की न होकर, रखैल की हो गई। गांधीजी को इस सामाजिक अन्याय को दूर कराने के लिए पुनः सत्याग्रह की तैयारी करनी पड़ी। वे टाल्सटाय आश्रम से फिनिक्स बस्ती में रहने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने सत्याग्रह के लिए महिलाओं को संगठित किया। स्त्रियों की एक टोली, जिसमें कस्तूरबा भी थीं, नैटाल से बिना अनुमति–पत्र लिए ट्रांसवाल में प्रविष्ट होने के लिए रवाना हुई। यह तय हो चुका था कि यदि सरकार उन्हें गिरफ़्तार न करे, तो वे कोयले की खान पर जाएँ और मजदूरों को हड़ताल के लिए प्रेरित करें। जैसी की आशा थी, पुलिस ने महिलाओं को गिरफ़्तार नहीं किया। तब वे पूर्व निर्णय के अनुसार खान पहुँची और मजदूरों की हड़ताल कराने में सफल हो गईं। न्यूकेसल खान के एक हज़ार मजूदरों ने हड़ताल कर दी। इस बार पुलिस निष्क्रिय नहीं रही। उसने महिलाओं और अन्य सत्याग्रहियों को पकड़कर अदालत में पेश कर दिया और अदालत ने उन्हें जेल की सजा दे दी।

गांधीजी स्त्री और पुरुष सत्याग्रहियों को अपने निश्चय पर डटे रहने की प्रेरणा देते रहे। उन्हें कैंप में रखकर उनके खाने–पीने की स्वयं व्यवस्था करते रहे। कई बार वे स्वयं सत्याग्रहियों के लिए भोजन पकाते और उनके रहने के स्थान की अपने हाथ से सफाई करते थे। सत्याग्रहियों की टोली जब निकलती थी, तो जनता उसे 'गांधी की सेना' कहती थी। गांधीजी सत्याग्रह करने से पूर्व उसकी सूचना सरकार को दिया करते थे। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। निश्चित तिथि को वे अपनी सेना के साथ ट्रांसवाल के भीतर प्रविष्ट हुए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, परन्तु उनके एक मित्र ने उन्हें जमानत पर छुड़ा लिया। गांधीजी ने पुनः कानून भंग किया और गिरफ्तार हो गए। मित्र ने दुबारा जमानत देकर उन्हें छुड़ा लिया। गांधीजी पीछे लौटने वाले नहीं थे। उन्होंने तीसरी बार सत्याग्रह किया। इस

बार उन्हें जमानत पर नहीं छोड़ा गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए अधिक से अधिक सजा की माँग की। इस बार उन्हें तथा उनके साथियों को नौ-नौ माह की सख्त सजा दी गई।

गांधीजी और उनके साथियों के जेल जाने के पश्चात् आन्दोलन और अधिक तेजी से बढ़ा। देश के कोने-कोने से स्वयंसेवक सत्याग्रह के लिए आगे आए और उन्होंने ट्रांसवाल की जेलें भर दीं।

जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार के दमन-समाचार भारत में पहुँचे, तो भारतीय नेताओं के ज़ोर देने पर वाइसराय ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार के अन्याय के विरुद्ध जाँच कमीशन की माँग की। लंदन की ब्रिटिश सरकार ने भी उसका समर्थन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनरल स्मट्स को गांधीजी और उनके साथियों को जेल से छोड़ना पड़ा और जाँच कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ी। कमीशन के सदस्यों में भारतीय विरोधियों की संख्या अधिक होने से गांधीजी ने उसका विरोध किया। भारत सरकार ने भी गांधीजी के पक्ष का समर्थन किया। इसलिए जनरल स्मट्स को झुकना पड़ा। उसने गांधीजी को समझौते के लिए आमंत्रित किया। समझौते के अनुसार गैर-ईसाई विवाह भी वैध ठहराए गए। प्रवासी भारतीयों पर लगाया जाने वाला तीन पौंड का वार्षिक कर रद्द कर दिया गया और बकाया माफ कर दिया गया। भारत से मजदूरों का आयात बन्द करने का भी प्रावधान रखा गया, परन्तु बिना अनुमति के भारतीयों के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में प्रवेश करने पर अनुमति-पत्र लेने का प्रतिबंध नहीं हटा।

अफ्रीका में गांधीजी का अष्टवर्षीय सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त हो गया। उनके नेतृत्व में वह अनुशासित और अहिंसात्मक रहा। अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण आन्दोलन का यह प्रथम प्रयोग था, जिसने संसार का ध्यान आकर्षित किया। 18 जुलाई, 1914 को गांधीजी ने अफ्रीका से साश्रु अन्तिम बिदा ली।

अफ्रीका में गांधीजी ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में सत्य के प्रयोग किए। शाकाहार, फलाहार, उपवास, व्यायाम, ध्यान, प्रार्थना, मौन-व्रत उनकी व्यक्तिगत साधना के अंग थे। सत्याग्रह मानव अधिकारों की रक्षा की दिशा में किया गया अभिनव प्रयोग था, जिसमें सम्पूर्ण तो नहीं, बहुत कुछ सफलता अवश्य प्राप्त हुई थी। उसने भारतीयों को मानवीय अधिकारों के लिए किस प्रकार शांतिपूर्ण संघर्ष किया जा सकता है और ऐसा संघर्ष जिसमें मारना नहीं, मरना होता है, यह सिखलाया। उनके सत्याग्रह की यह विशेषता रही है कि उसमें विपक्षी के प्रति घृणा अथवा शत्रुता का भाव घर नहीं कर पाया था। जनरल स्मट्स, जिसने सत्याग्रह आन्दोलन को कुचलने की कोशिश की, गांधीजी के प्रति आदर रखता था। गांधीजी भारतीयों के बीच 'भाई' से सम्बोधित होते थे। गुजरात में यह शब्द आत्मीयता और आदर का बोधक है। भाई गांधी के विदाई-शब्द हैं- 'मुझे दुख इस बात का है कि जहाँ मैंने जीवन के इक्कीस वर्ष बिताए, असंख्य मीठे और कड़वे अनुभव प्राप्त किए और अपने कार्य की नींव डाली, उस दक्षिण अफ्रीका की भूमि से मैं विदा हो रहा हूँ।'

अफ्रीका में रहते हुए गांधीजी केवल भारतीयों पर होने वाले अन्यायों का ही विरोध नहीं करते थे, वे खदान में काम करने वाले चीनी मजदूरों पर होने वाली ज्यादतियों के लिए पूर्ण नागरिकता की माँग की थी। एक भारतीय स्त्री पर उपनिवेश में प्रवेश करने का अनुमति-पत्र न होने के अपराध में जब मुक़दमा चलाया गया, तो पत्रों में उन्होंने सरकार की ज़ोरदार शब्दों में निन्दा की। इससे बड़ी हलचल मची और मामला उठा लिया गया। गांधीजी मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं मानते थे।

अफ्रीका में रहते हुए भी उनकी दृष्टि भारत पर बराबर रहती थी। उन्होंने नमक-कर की समाप्ति, ब्रिटिश माल के बहिष्कार और बंग-भंग आन्दोलन के समर्थन में लेख लिखे। उन्होंने 'वंदेमातरम्' को राष्ट्रगीत बनाने तथा देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की दृष्टि से एक राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिन्दी-हिन्दुस्तानी का समर्थन किया। न्याय और मानवता के आधार पर होमरूल (स्वराज्य) की माँग पेश की। वे बाहरी दुनिया पर भी दृष्टि रखते थे। रूस की क्रान्ति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा था कि यदि यह क्रांति सफल हो गई, तो यह इस शताब्दी की महान विजय होगी।

अभ्यास

प्रश्न-1 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए-

1. सत्याग्रह का अर्थ है-बुरे कानून के सामने ....।
2. ....सम्बोधन गांधी जी को सदा खटकता रहा।
3. सत्याग्रही गांधी की पोशाक.......... गांधी से बिल्कुल भिन्न थी।

प्रश्न-2 निम्नलिखित लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

1. गांधीजी को तीसरी बार अफ्रीका क्यों बुलाया गया?
2. 'इंडियन ओपीनियन' नामक पत्र में गांधीजी किन-किन समस्याओं पर प्रकाश डालते थे?
3. गांधीजी ने सत्याग्रह की क्या व्याख्या की?
4. गांधीजी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की?
5. सन् 1906 ई. में प्रकाशित ट्रांसवाल सरकार के अध्यादेश का विरोध गांधीजी ने क्यों किया?
6. रक्षामंत्री जनरल स्मट्स ने समझौते का मार्ग क्यों अपनाया?
7. गांधीजी के किस गुण के कारण जनरल स्मट्स उनके प्रति आदर भाव रखने लगा?
8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो-

   (क) टाल्स्टाय आश्रम (ख) मीर आलम।

अब करने की बारी

1. गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध कार्य किया, परन्तु अन्याय करने वाले के प्रति कभी राग-द्वेष नहीं रखा। आप सत्याग्रह के इस प्रयोग से क्या सीखते हैं? लिखिए।
2. गांधी जी के जीवन वृत्त पर एक नाटिका तैयार कीजिए और उसका मंचन विद्यालय में करिए।

❑❑